हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24/10/19 पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्यो में व्यस्त है। दिनांक को 15/11/19 पेश हो।

रीडर

15/11/19 पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्यो में व्यस्त है। दिनांक को 13.12.19 पेश हो।

रीडर

13.12.19 अभिभाषक ने कार्य स्थगित किया हुआ है। दिनांक को 7-2-20 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, रैणी

84
693

07-02-2020

आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। चूंकि मूलवाद अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारीज किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTACT का कोई औचित्य नही रह जाता है। अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTACT भी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खत्म होकर बाद पूर्ति संलग्न मूलवाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला- अलवर

Scanned with CamScanner